आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–10 / 2023

16.05.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।

इस वाद की ऑडियो कॉल से हुई सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश के आलोक में उन्हें हर्जाने के साथ अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। किन्तु अपीलकर्ता का कहना है कि उस राशन डीलर के यहाँ अन्य लाभुकों को अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह से इस संदर्भ में पूछने पर उन्होंने कहा कि उस महिने में उन्हें उतना अनाज प्राप्त नहीं हुआ है, जितने की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ वे यह भी कह रहे हैं कि वे अनाज नहीं उठा पाये। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश देता है कि वे इस संदर्भ में लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से बिन्दुवार अपना पक्ष रखें ताकि यदि राज्य सरकार के स्तर से या केन्द्र सरकार के स्तर से कोई खामी हुई है तो आयोग पत्राचार कर भविष्य में ऐसी गड़बड़ियाँ न हो, यह सुनिश्चित कर पाये। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।